न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 12/2025 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2025/29

उनवान

जगदीश आत्मज रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम श्रीपुरा पटवार क्षैत्र अयाना तहसील पीपल्दा,जिला कोटा

(अपीलांट)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा।
2. श्रीमती भूरीबाई पुत्र स्व.देवलाल धर्मपत्नी स्व. भागीरथ जाति मीणा निवासी ग्राम मातासुला तहसील व जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश)
3. श्रीमती ब्रदीबाई पुत्री स्व. देवलाल धर्मपत्नी स्व. मलखान जाति मीणा निवासी ग्राम बालुन्दा तहसील मांगरोल जिला बारां।
4. श्रीमती रामभरोसी पुत्री स्व. देवलाल धर्मपत्नि स्व. हीरालाल जाति मीणा निवासी तेजाजी की तलाई,जिला बारां
5. श्रीमती जगन्नाथी बाई पुत्र स्व.देवलाल धर्मपत्नि भारमल जाति मीणा निवासी ढडोल्या की बाडी,राजनगर कॉलोनी तहसील व जिला बारां।

(रेस्पोडेन्टस्)

उपस्थित :– श्री ब्रहानन्द शर्मा (अपीलान्ट)

अपील अन्तर्गधारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बनारालगी नामान्तकरण संख्या 3470 दिनांक 5.6.2024 ग्राम अयाना तह0पीपल्दा न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा

निर्णय

दिनांकः– 13/2/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा नें मृतक खातेदारा श्रीमती रतनी विधवा श्री देवलाल जी का फोती नामान्तकरण संख्या 3470 वाके ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा,जिला कोटा दिनांक 5.6.2024 को रेस्पोडेंटगण 2 लगायत के पक्ष में तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय मे हुक्म जैर

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की जॉच किए बिना कि अपीलान्ट स्व0 रतनी का गोदपुत्र है तथा अपीलांट द्वारा श्रीमती रतनी की मृत्यु होने के उपरान्त एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.3.2024 को रेस्पोडेन्ट न.1 को रजिस्ट्रर्ड गोदनामा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर इटावा के निर्णय की सत्यप्रतिलिपी के साथ एक प्रार्थना पत्र ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित खसरा न. 2182 रकबा 2.44 है0 खसरा 2166 रकबा 1.35 है0,खसरा नं. 2178 रकबा 1.79 है0 व खसरा नं.2185 रकबा 0.13 है0 भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज करने बाबत् दिया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवार मण्डल ग्राम अयाना द्वारा जांच की गई तथा जॉच रिपोर्ट दिनांक 24.5.2024 को पटवारी अयाना जॉच की गई तथा जॉच रिपोर्ट दिनांक 24.05.2024 उक्त तथ्य रेस्पोडेट न.1 के समक्ष पत्रावली पर था कि " मुताबिक रजिस्टर्ड गोदनामा 6195 दिनांक 2.08.1995 में रतनी बाई के वारिसान की जॉच व जगदीश पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा गोद लिया है "रतनीबाई के वारिसान की जॉच व जगदीश पुत्र रामकरण की पेतृक की जॉच रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रेमपुरा से मंगवाया जाना उचित रहेगा। तदुपरान्त दिनांक 30.5.2024 को रेस्पोडेन्ट न.1 द्वारा पुनः मूल जॉच रिपोर्ट हलका पटवारी अयाना से चाही गई। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि मौके पर मौजूद मौतबिरान द्वारा मृतका द्वारा जगदीश पुत्र रामकरण मीणा को गोद लेना भी बतलाया गया, उक्त रिपोर्ट पर 5 गवाहान ने भी हस्ताक्षर किये।

रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा पारित किया गया उक्त आदेश अवैध व गैरकानूनी व प्रभावहीन है तथा तथ्यो को छिपाकर किया गया है इसलिए उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट क्र.1 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 2 लगायत 5 के पक्ष में जारी आदेश दिनांक 5.06.2024 की सर्वप्रथम जानकारी रेसपोडेंट नं.1 के कार्यालय में दिनांक 14.2.2025 को जाने पर हुई व तदुपरान्त अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की सत्यप्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट न.1 को प्रस्तुत करने पर उक्त आदेश की सत्यप्रतिलिपी दिनांक 18.2.2025 को प्राप्त होते ही अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अपील तैयार करवा कर उक्त अपील माननीय न्यायालय के संमक्ष अविलम्व प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए उक्त अपील अवधिमध्य माना जाना आवश्यक् है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर हुक्म जैर अपील नामान्तकरण संख्या 3470 दिनांक 5.06.2024 ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा निरस्त फरमाया जावे तथा मृतक खातेदारा श्रीमती रतनीबाई का फोती नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक फरमाये जाने का आदेश प्रदान करे।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्टस् को जारी रजिस्ट्रर्ड ए. डी.समन्न बाद तामिल प्राप्त हुए।

बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा नें मृतक खातेदारा श्रीमती रतनी विधवा श्री देवलाल जी का फोती नामान्तकरण संख्या 3470 वाके ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा,जिला कोटा दिनांक 5.6.2024 को रेस्पोडेंटगण 2 लगायत के पक्ष में तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय मे हुक्म जैर अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण संख्या 3470 दिनांक 5.6.2024 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तकरण की अपील न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार मे नही होने से संक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु अपील लोटाई जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/02/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति. जिला कलक्टर
कोटा